संख्या- 10/2023/सामान्य/47-का-4-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/
विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 16 नवम्बर, 2023

विषयः सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-2-ई.एम./2009-का-4-2019 दिनांक 24 मई, 2019 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 2021 एवं 17 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों/ समस्याओं के संबंध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, इनका निराकरण किये जाने के संबंध में सुस्पष्ट निर्देश किये गये हैं।

2. उक्त शासनादेशों द्वारा निर्गत सुस्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों के समक्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय-समय पर सेवा संबंधी प्रकरणों के मांग-पत्र प्राप्त होते रहते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विभागाध्यक्ष स्तर पर समाधान/ अनुश्रवण की प्रभावी कार्यवाही नही हो पा रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग से सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु निरन्तर सम्पर्क करते हैं। ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा सकता है, की नियमित समीक्षा कर निराकरण कराया जाना आवश्यक है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अतः उक्त के संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी संगठनों/ कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के संबंध में शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिवगण तथा विभागाध्यक्ष / मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों/ जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की समस्याओं/ मांगों तथा कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के निस्तारण हेतु माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in